

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/इंडक्शन /2021/53

दिनांक: 11 फरवरी, 2021

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- ऑनलाइन इंडक्शन/ओरियन्टेशन कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत।

संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7(4) यु.जी.सी./अकाद /आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाइन इंडक्शन/ओरियन्टेशन कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र.स.	नाम (सह/सहायक आचार्य) श्री/ श्रीमती/सुश्री/डॉ.	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1	अशोक कुमार	ईएफएम	राज.पी.जी.महा.फलोदी	इंडक्शन/ ओरिन्टेशन	11.02.2021 से 13.03.2021 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
2	चन्द्र प्रकाश दादलानी	सिंधी विभाग	राज.महा.अजमेर	इंडक्शन/ ओरिन्टेशन	01.03.2021 से 30.03.2021 तक	केरला विश्वविद्यालय केरला
3	अनिता मालव	वनस्पति शास्त्र	राज.कन्या महा.कोटा	इंडक्शन/ ओरिन्टेशन	23.02.2021 से 31.03.2021 तक	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़
4	प्रकाश दान चारण	हिन्दी	राज.महा.मारवाड जंक्शन	इंडक्शन/ ओरिन्टेशन	26.02.2021 से 25.03.2021 तक	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी
5	राजदीप सिंह सान्दु	राज.विज्ञान	राज.महा.देवगढ़	इंडक्शन/ ओरिन्टेशन	11.02.2021 से 13.03.2021 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
6	ममता सोलंकी	प्राणी शास्त्र	राज.महा.अजमेर	इंडक्शन/ ओरिन्टेशन	11.02.2021 से 13.03.2021 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें:-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

(डॉ सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)


11/2/21